

कार्रवाई करना

* 437. श्री अख्तरहुल इमान—हिन्दू दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 दिसंबर, 2010 को प्रकाशित शीर्षक

“70 हजार बोटर गायब” के आलोक में क्या मंत्री, निवाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में जिला सीचान के 1.30 लाख, मुग्रे के 85 हजार, गोपालगंज के 70 हजार, पटना के 70 हजार, बाङ्का के 44 हजार मतदाताओं का नाम बोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि बुध लेबल ऑफिसर से लेकर धरीय पदाधिकारी तथा सूची लैयार करने वाले एजेंट की सापेक्षात्ती से मतदाताओं का नाम बोटर लिस्ट से गायब है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

* 1025. श्री अरुण कमार सिन्हा—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि विगत सात वर्षों में भोजपुरी फिल्म के विकास ने बिहार को सांस्कृतिक मंत्र पर एक नई गहरान दी है;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत सात वर्षों में पटना में फिल्म सिटी के निर्माण हेतु सरकार को ये प्रस्ताव भी मिले हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना में फिल्म सिटी का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सेवा सम्पूर्ण करना

* 1895. श्री विनोद नारायण जा—हिन्दू दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 फरवरी, 2011 को प्रकाशित समाचार शीर्षक “नौकरी पकड़ी नहीं रिटायरमेंट सापेने” के आलोक में क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वाणिज्य-कर विभाग में वर्ष 1979 से 1981 के बीच गज्य के विभिन्न अंचलों में लिपिक कोटि के 351 कर्मचारी बहाल हुए, जिनका सेवा सम्पूर्ण लम्बित है;

(2) क्या यह बात सही है कि 30 वर्ष तक नौकरी करने के पश्चात उक्त कर्मचारी में से आधे से अधिक कर्मचारी रिटायरमेंट के कठीब पहुंच गये हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों की सेवा सम्पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल का दर्जा

* 1896. डॉ योगनन्द यादव—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत फतुहा को विगत 7 (सात) वर्ष पूर्व अनुमंडल बनाने का नियंत्रण सरकार द्वारा लिया गया था, परन्तु फतुहा को सिर्फ पुलिस अनुमंडल बनाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार फतुहा को अनुमंडल का दर्जा देने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट—“क” निवाचन विभाग के पत्रांक 1012, दिनांक 28 फरवरी, 2011 के द्वारा पंचायती राज विभाग को स्थानान्तरित पुनः दिनांक 7 मार्च, 2011 को सदन द्वारा निवाचन विभाग को स्थानान्तरित एवं दिनांक 14 मार्च, 2011 को सदन द्वारा स्थगित।

“ख” दिनांक 15 मार्च, 2011 को सदन द्वारा उद्योग विभाग में स्थानान्तरित।

*1891. डॉ इब्राहिम अहमद--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरधंगा जिलान्तर्गत विरोल, घनश्यामपुर एवं जमालपुर थाना में अन्य थानों के पुलिस कमी एवं साधनहीनता के कारण अपराध नियंत्रण में काफी कठिनाई हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि विरोल, घनश्यामपुर में एक पुरानी जीप से एवं जमालपुर थाना में कोई साधन नहीं रहने से कोणी-कपला के बाद प्रभावित क्षेत्र में कानून-व्यवस्था में काफी कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तीनों थाना में अपराध नियंत्रण के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी प्रवेश आवृत्तिक सवारी मुहैया करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का सूजन

*1901. श्रीमती रजनी गोता--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के रसलपुर गाँव बाजपट्टी प्रखण्ड मुख्यालय में 12 फ्लॉरों पर 100 से 15 किमी मीटर, सुरमंड चूरीत से 10-10 किमी मीटर पर रहने के कारण प्रसासन को विधि-व्यवस्था के नियंत्रण में लगाए कर्तव्यान्वय होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार रसलपुर गाँव में थाना का सूजन करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाये का भुगतान

*1899. श्री प्रमोद केसार--क्या मंत्री, गन्ना विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी चौनी मिल 3 जनवरी से 22 फरवरी, 2011 तक लगभग 1 लाख विवरण गन्ने की पैसाएं के लायानक गन्ना रहते हुए फैक्ट्री बंद कर दिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि नारं फरवरी, 2004 से 2010 तक फैक्ट्री बंद थी, फैक्ट्री के ऊपर किसान मजदूर के करोड़ों रुपये बकाया भुगतान हेतु अगस्त 2010 में जिला समाहारी, यूनी सम्पारण के ममक्ष मजदूर और प्रबंधन के बीच समझौता हुआ था, विस समझौता के अनुकूल मजदूर नव किसानों के बकाये भुगतान नहीं हो सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसान मजदूरों के बकाये भुगतान को कराते हुए मोतिहारी चौनी मिल को बालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्जीवित करना

*1900. श्री दग्गा प्रसाद भिंह--क्या मंत्री, नशोग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के खाद्य प्रखंड में खादी ग्रामोद्योग के अनेन्द्रनगंत आने वाले कुटीर उद्योग तथा सूत उत्पादन, खादी उत्पादन, चुनाई, सत्तु, बेसन, मधुमक्खी पालन, साबुन उत्पादन पूँजी के अभाव में नम 2001 से ही बन्द है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिला के खादी ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शाखा खोलना

*1901. श्री प्रेम रंजन पटेल--क्या मंत्री, सार्विक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लकड़ीसराय जिलान्तर्गत मूर्यगढ़ प्रखंड के मेडनी चौकी बाजार 50 हजार की स्थानीय आवादी का केन्द्र है जहाँ कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थानीय व्यावसायियों तथा किसानों वर्ग ऐक नहीं रहने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मेडनी चौकी बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंक का शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

*1903. उपर्युक्त विभाग में बहाली करने की कृपा करेंगे कि--

(1) यह बात सही है कि वर्ष 2006 में विज्ञापन सं०-1/2006 के माध्यम से विहार गृह रक्षा वाहिनी के बहाली हेतु विज्ञापन के माध्यम से उपर्युक्त विभाग गया;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में भेदभाव विला में भी चयन प्रक्रिया अपनाई गयी, जिसके तहत दिनांक 15 मई, 2005 तक 5 मई, 2008 का शारीरिक परीक्षा एवं दिनांक 5 जून, 2008 एवं 8 जून, 2008 को चिकित्सीय परीक्षा ली गयी, तथ्यस्वरूप भारीधी अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्ड न उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विज्ञापन के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों को बहाली करने का विचार रखता है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का सुजन

*1903. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा--क्या यह गृह (आरक्षी) विभाग, यह बहलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला में भरीधा थाना सुजन का प्रसाद नाम में विगत 5 वर्षों से लौटेत है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भरीधा में थाना के सुजन के प्रसाद को स्वीकृत करने वा उत्तर स्वीकृत करता है, नहीं, तो क्यों ?

तम. ३: निर्माण

*1904. डॉ अरुण कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बहलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के सलालुआ उपर्युक्त ग्राम पंचायत कबीरा, आलानी, सामदरखुर्द, दानन तथा सिमरी बांधियारपुर प्रखण्ड के बेलाहर, धनपुरा, कठडुमर, धोरग काशी नदी के ऊपर है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत नक्सल प्राप्ति न होने के कारण आवागमन की सुविधा नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि कोशी नदी के ऊपर धनपुरा में कोई पाइप नहीं है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोशी नदी द्वारा गर धनपुरा में मोड़ल थाना भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

झाजावास में रखना

*1905. डॉ अब्दुल गफ्फर--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बहलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला में अल्पसंख्यक झाजावास वर्ष 2010 में बनकर रखा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के विभिन्न मंहाविद्यालय के अल्पसंख्यक छात्र शहर रखने की मांग में आधा पर रहकर अध्यापन करते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को उक्त निर्मित छात्रालय द्वारा रखने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कैदियों को रखना

*1906. श्री विनोद नारायण ज्ञा—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी अनुमंडल में उपकारा एवं उपकारा कर्मियों के लिए भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2006 में पूरा हो चुका है;

(2) क्या यह बात सही है कि 5 वर्ष बीत आने के बाद भी बेनीपट्टी अनुमंडल उपकारा में कैदियों को नहीं रखा जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेनीपट्टी अनुमंडल उपकारा में कैदियों को रखने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

*1907. श्री चन्द्रशेखर—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला अन्तर्गत वर्ष 1980 से चौनी औद्योगिक इकाई, घनघनखी के बंद रहने से रोजगार प्राप्ति हेतु बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों में प्राप्तवान को मजबूर हैं;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बंद पढ़े उक्त चौनी मिल को चालू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेशन देना

*1908. श्री गण प्रखेश राय—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा 1974 से 77 तक के जे० पी० आंदोलन के मीमा और ही०आई०आर० में जेलों में बंद रहने वाले आंदोलनकारियों को सम्मान पेशन यशि दी जा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि सम्मान पेशनभोगियों एवं पेशन के हकदारों की मृत्यु होने के उपरान्त उनके परिजनों को सम्मान पेशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पेशन के हकदारों के परिजनों को सम्मान पेशन देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धाना खोलना

*1909. श्रीमती कमारी मंजु वर्मा—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत छौराही एवं ढंडारी प्रखंड में आजतक धाना नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खोदा चंदपुर धाना में छौराही प्रखंड से 25 कि०मी० एवं ढंडारी प्रखंड की दूरी 35 कि०मी० है, जिसके कारण उक्त प्रखंड के अपराधियों, गतिविधियों को नियंत्रण करने में कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंडों में अलग-अलग धाना खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

* 1910. डॉ. इजहार अहमद--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धरभंगा जिलान्तरित किरलपुर प्रखण्ड के जमालपुर सिंधु गाम में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से पिछले 2 वर्ष पूर्व बैंक से लेजर रजिस्टर गायब हो गया जिसमें हजारों खाताधारी का लाखों का लेखा-जोखा था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लेजर रजिस्टर के गायब होने से खाताधारियों के पैसा वीं निकासी नहीं हो रहा है न ही उसकी जमा राशि लौटाई जा रही है, जबकि खाताधारियों द्वारा वर्ष 2010 में इसकी शिकायत बैंकों से की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में रजिस्टर गायब होने के लिए बैंक पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए खाताधारियों का जमा राशि दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

भवन का निर्माण

* 1911. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला का गुरुआ थाना एवं परैया थाना का भवन 50 वर्ष पुराना है, जो जीर्ण-शीर्ण अवश्य में है;

(2) क्या यह बात सही है कि गुरुआ एवं परैया थाना भगानक रूप से उद्धवाद प्रभावित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुरुआ, परैया को मांडिल थाना भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरित करना।

* 1912. श्री रमेश ऋषिदेव--क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तरित किशनगंज अनुमंडल मुख्यालय में कारा भवन दस वर्ष पूर्व ही बनकर तैयार हो गया है, परन्तु अभीतक उसमें कैंदियों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार किशनगंज जेल भवन में कैंदियों को स्थानान्तरित करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ पहुँचाना।

* 1913. डॉ. फैद्याज अहमद--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक काल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार अल्पसंख्यक समुदाय के प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को 10,000 रु. की छात्रवृत्ति दी जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि छात्रवृत्ति की राशि से संबंधित बैंक द्राफ्ट में गलत नाम अंकित किये जाने के कारण जो भी द्राफ्ट संशोधन के लिए जिलों से भेजा जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण काफी संख्या में अल्पसंख्यक लापार्टी इस छात्रवृत्ति से वर्चित हो गये हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के 100 से अधिक अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं का बैंक द्राफ्ट में नामादि

संशोधन के लिए विभाग में 6 माह पूर्व आवेदन भेजे गये हैं, जो अभीतक लघित है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बैंक ड्राफ्ट में सुधार कर अल्पसंख्यक लाभार्थियों को इसका लाभ पहुँचाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योगदान देना

* 1914. श्री केदानाथ सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विज्ञापन संख्या 1/04 के अन्तर्गत बक्सर जिला में आरक्षी पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 24 सितम्बर, 2008 को सामान्य कोटि के रिक्त 12 पदों के विरुद्ध 24 सफल उम्मीदवारों को कौसलिंग हेतु बुलाया गया, जिनमें से मात्र 12 उम्मीदवार उपस्थित हुए;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कोटि के पदों पर कौसलिंग कराए गए उम्मीदवारों में से मात्र 3: उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु बुलाया गया, जिनमें से 4 उम्मीदवारों के योगदान करने के पश्चात शेष दो पद रिक्त रह गए;

(3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 16 जनवरी, 2010 को प्रकाशित औंतम मेंदा सूची के एक साल बीतने के पूर्व ही उक्त रिक्त पदों को नये विज्ञापन में गलत रूप से शामिल कर दिया गया;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सामान्य कोटि के रिक्त दो पदों पर कौसलिंग कराए गए उम्मीदवारों में से ही वरीयता के आधार पर योगदान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का सूजन

* 1915. डॉ रणविजय कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह थाना से कटकर बन्देआ थाना सूजन का प्रस्ताव विभाग में 1998 से लंबित है;

(2) क्या यह बात सही है कि बन्देआ ग्राम में वर्ष 1991 से नक्सल गतिविधियों को देखते हुए पुलिस पिकेट स्थापित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बन्देआ में थाना के सूजन प्रस्ताव को स्वीकृत करने का विचार रखती है, अगर हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा नहीं लेना

* 1916. श्रीमती मन्नी देवी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या 2006 द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2007 को कुल 191 आशुटंका/आशुलिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में आजतक कोई परीक्षा विगत चार चर्चों में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा नहीं ली गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त विज्ञापन के आलोक में परीक्षा नहीं लेने का क्या औचित्य है ?

चौलू करना

*1917. श्री मंजीत कुमार सिंह— क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के चैकुंठपुर प्रखंड के सिरसा में रेशम उद्योग केन्द्र विगत 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि रेशम उद्योग केन्द्र के भवन भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े रेशम उद्योग को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चौकी का निर्माण

*1918. श्री कुमार शैलेन्ड— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवगढ़िया पुलिस जिलान्तर्गत विहंपुर धाना क्षेत्र की लंबाई लगभग 75 किमी है एवं आधादी लगभग 70 हजार है;

(2) क्या यह बात सही है कि विहंपुर धाना का शहजादपुर एवं चैकुंठपुर इधेला पंचायत को एक मात्र धाना से निर्यति नहीं हो पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहजादपुर पंचायत एवं चैकुंठपुर इधेला में पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी ऊँचा करना

*1919. श्री कर्हैया कुमार— क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत रजौली विधान-सभा क्षेत्र में रजौली, मेसकैर एवं सिरदलमा धाना स्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों धानों को अपना भवन है, परन्तु चहारदीवारी चार फौट का होने के कारण सशस्त्र पुलिस कर्मियों को शस्त्र की रक्षा में कठिनाइयां होती हैं, जबकि वर्णित धानों नवसल प्रभावित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त धानों को चहारदीवारी को ऊँचा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विवरणी उपलब्ध कराना

*1920. श्री कृष्णनन्दन पासवान— क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सभा सचिवालय के करीब 100 कर्मियों का भविष्य निधि में की गई कटौती की राशि पर सूद गणना हेतु वर्ष 2010 में भविष्य निधि निदेशालय मेज़ा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक सूद गणना कर भविष्य निधि निदेशालय, पटना द्वारा सभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराया है;

(3) क्या यह बात सही है कि भविष्य निधि कार्यालय द्वारा 25 वर्ष पूर्व में किये गये सूद की गणना को अकारण रोक दिया है, जिसके कारण जी०पी०एफ० की अधिग्रहण में काफी कठिनाई हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सूद गणना को विवरणी उपलब्ध कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

*1921. श्रीमती गुडडी देवी— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सोतामढ़ी ज़िलान्तर्गत रुनी सैदपुर प्रखंड के तिलकताजपुर निवासी श्री उमाशंकर सिंह, श्री रत्नेश्वर सिंह, राम संजीवन सिंह, कमलेश्वर सिंह, देवेन्द्र सिंह, रामचन्द्र सिंह, राम नरेश सिंह, राम विशेष सिंह, राधेश्याम सिंह, रामाशंकर सिंह सहित 11 व्यक्तियों ने एवं ५ लोक नायक जवाप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ गये आन्दोलन 1974 में ही ०आई०आर० 69 के अन्तर्गत जेल गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त व्यक्तियों को जेल में रहने के बावजूद भी पेशन की स्वीकृति नहीं की गई है, जबकि उनके द्वारा विगत 2010 में पेशन स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को पेशन देने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नये वाहन उपलब्ध कराना

*1922. श्री कृष्ण कुमार जूरि— क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला के बनमनछो अनुमंडल के आरक्षी पदाधिकारी का सरकारी गाड़ी विगत 2 वर्षों से जर्जर है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाड़ी जर्जर होने के कारण अपराधियों को पकड़ने में कठिनाई होती है, जबकि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा नये वाहन को उपलब्ध कराने हेतु विगत वर्ष 2010 में विभाग को यत्र दिया था;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी को नये वाहन देने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-कोषागार खोलना

*1923. श्री विनय कुमार सिंह— क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा प्रदान करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण ज़िलान्तर्गत रोनपुर अनुमंडलीय कार्यालय 1995 से कार्यरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि सोनपुर अनुमंडलीय कार्यालय में उप-कोषागार कार्यालय कार्यरत नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उप-कोषागार कार्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

मिल चालू करना

*1924. श्री जनक सिंह— दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 3 फरवरी, 2011 को प्रकाशित "मदौरा चीनी मिल की परिस्मर्ति का आकलन" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण ज़िलान्तर्गत मदौरा चीनी मिल पर किसानों का 5 करोड़ 50 लाख, मजदूरों का 18 लाख एवं वित्तीय संस्थानों का 47 करोड़ रुपया 10 वर्षों से बकाया है;

(2) क्या यह बात सही है कि बकाये राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उक्त मिल को नये निवेशक चालू नहीं कर पाए गए हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मदौरा चीनी मिल पर किसानों, मजदूरों एवं वित्तीय संस्थानों के बकाये का भुगतान करकर मिल को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

* 1925. श्री राम लघण राम "रमण"--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कार्यालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराटाड़ी प्रखण्ड के भदना पंचायत में मदरसा हनफिया अरबी कॉलेज में सैकड़ों अल्पसंख्यक छात्र पढ़ते हैं, जहाँ छात्रावास की सुविधा नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कॉलेज में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

भवन का निर्माण

"ग" * 1926. डॉ अच्युतानन्द--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत महनार अनुष्णुडल का गठन 1998 में हुआ, लेकिन अधीतक अनुमण्डल कार्यालय के भवन एवं अनुमण्डल पदाधिकारी तथा कर्मचारियों के आवासित भवन का निर्माण नहीं हुआ है ;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महनार अनुमण्डल के कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारा खालना

* 1927. श्री विनय कुमार सिंह--क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर अनुमंडलीय कार्यालय, 1995 से कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात भी सही है कि अनुमंडलीय कार्यालय के अधीनस्थ अनुमंडलीय कारा की स्थापना नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोनपुर में अनुमंडलीय कारा खालने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेशन सुविधा का लाभ

* 1928. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में लिए गए निर्णयानुसार राज्य सरकार के सरकारी उपकारी में प्रतिनियुक्त स्नातक, लेखानंगी नोटेंगाम/उप-कोशागार में जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष हो गई हो एवं प्रतिनियुक्त अवधि में सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर विभाग में उक्त कर्मचारियों को सम्मानजित किया गया है ;

"ग" सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानान्तरित

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कर्मियों का ममायोजन 09 वर्ष बाद दिनांक 8 मार्च, 2006 के प्रधाव से ममायोजन-पत्र निर्गत किया गया एवं दिनांक 1 सितम्बर, 2005 से नवी पेशन योजना को भी उसमें जोड़ दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि दायर याचिका संख्या 7702/10-एवं 8825/10 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि प्रतिनियुक्त कर्मचारी एवं नए नियुक्त कर्मचारियों को समान बेतन एवं पुराने पेशन योजना दिया जाय ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्त कोषागार कर्मियों को राज्य कर्मियों की तरह पुराने पेशन सुविधा का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

एम्बुलेंस की व्यवस्था

* 1929. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मंडल कारा, नवादा में एम्बुलेंस नहीं हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि 10 फरवरी, 2011 को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं रहने के कारण बन्दी बबलू मिश्रा को हताज लेतु सदर अस्पताल, नवादा ले जाने में देर होने से मृत्यु हो गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मंडल कारा, नवादा में एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवेदनों का निष्पादन

* 1930. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के उद्योग विभाग के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2010-11 में सुरेन्द्र चौधरी, ग्राम थाल्पोथ, थाना-पकरीवाला एवं अन्य बेरोजगारों का रोजगार हेतु क्रह लेने से संबंधित आवेदन-पत्र लम्बित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नवादा जिला के उद्योग विभाग में प्राप्त आवेदनों को निष्पादित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

* 1931. श्री रमेश ऋषिदेव—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत कुमारखण्ड सिहेश्वर, मुरलीगंज, चोसा, आलमनगर पुरेणी, विदारीगंज एवं शंकरपुर प्रखण्ड में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में मक्का पर आधारित उद्योग नहीं होने के कारण किसानों को मक्का का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखण्डों में मक्का पर आधारित उद्योग लगाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा ऋण देना

*1932. डॉ. अमृतल गफर--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को वर्ष 2006 से शिक्षा ऋण देना बन्द हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा ऋण हेतु 1000 से अधिक छात्र-छात्राओं का शिक्षा ऋण वर्ष 2006 से लम्बित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण देने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-कोषागार का संचालन

*1933. श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बैगूसराय जिला मुख्यालय में ही एक कोषागार है जहाँ पूरे बैगूसराय जिले का काम होता है;

(2) क्या यह बात सही है कि चेरिया बरियारपुर प्रखंड परिसर में उप-कोषागार भवन का निर्माण कराया गया था, जिसका उद्घाटन भी वर्ष 1994 में हो चुका है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त उप-कोषागार का विधिवत संचालन अभीतक नहीं हो रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उप-कोषागार का विधिवत संचालन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल का दर्जा देना

*1934. श्री रामाचण मांझी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीधावान जिला अन्तर्गत मैरवा नगर पंचायत के नवतान, मुठनी, जिरादेंद्र, दरौली प्रखंड के आम जनता को अनुमंडलीय कार्य हेतु 25 से 30 किमी की दूरी तय कर सीधावान अनुमंडल कार्यालय में आना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मैरवा नगर पंचायत को अनुमंडल का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

*1935. श्रीमती रंजु गोता--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीधामढ़ी जिला-नगर बोखड़ा प्रखंड स्थापित होने के बाद से आजतक वर्णित प्रखंड के 11 पंचायतों का विधि-व्यवस्था का निर्यत्रण नानपुर थाना से सम्पादित होता है;

(2) क्या यह बात सही है कि नानपुर थाना में कुल 28 ग्राम पंचायत रहने के कारण विधि-व्यवस्था के निर्यत्रण में प्रशासन को काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोखड़ा में थाना स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल चालू करना

*1936. श्री राम लालण राम "रमण"--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला-नगर 18 वर्षों से लोहट एवं रैयाम चीनी मिलों के बन्द हो जाने से गन्ना किसानों की हालत बदतर हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार लोहट एवं रैयाम चीनी मिलों को चालू कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फायर ब्रिंगेड की व्यवस्था

*1937. डॉ. तथा विद्यार्थी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बताने को कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्दारीत पालीगंज अनुमंडल का निर्माण अर्थ 1999 में किया गया है, परन्तु आजतक वहाँ फायर ब्रिंगेड की स्थापना नहीं की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि फायर ब्रिंगेड की स्थापना नहीं होने से मकान, फसल आदि में आग लगने के पश्चात् रथा की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर अनुमंडल में फायर ब्रिंगेड की व्यवस्था कबतक सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 26 मार्च, 2011 (ई०)।

गिरीश जा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।